

उ.स.(आर्थिक)/उ.स.(विधान)/उ.स.(प्रशिक्षण)/उ.स.(धन)/उ.स.(आर्थिक)/उ.स.(अर्थशास्त्र)
झारखण्ड सरकार उ.स.(उद्योग)/उ.स.(अर्थशास्त्र)/उ.स.(अर्थशास्त्र)
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य) २/१
15/1/26

अ धि सू च ना

रांची, दिनांक-15 जनवरी, 2026.
सं०- 05/मं०मं०स०/वि०स० सत्र -01/2026 49 / माननीय राज्यपाल, झारखण्ड, का
दिनांक 12.01.2026 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित
किया जाता है:-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संतोष कुमार गंगवार, झारखण्ड का राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक 18 फरवरी, 2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड विधान सभा के सभा वेश्म, राँची में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।"

ह०/-

राँची

(संतोष कुमार गंगवार)

दिनांक- 12 जनवरी, 2026.

राज्यपाल, झारखण्ड

ज्ञाप सं०- 05/मं०मं०स०/वि०स० सत्र -01/2026 49 / रांची, दिनांक-15 जनवरी, 2026 ई।

प्रतिलिपि: कार्यक्रम की प्रति के साथ राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/ मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा/ सभी विभागाध्यक्ष/ निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/ गृह मंत्रालय, पॉलिटिकल (एक) शाखा, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अखलेश कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं०- 05/मं०मं०स०/वि०स० सत्र -01/2026 49 / रांची, दिनांक-15 जनवरी, 2026 ई।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची/ नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) झारखण्ड को अधिसूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

245
15/01/2026

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अ धि सू च ना

रांची, दिनांक 15 जनवरी, 2026.
सं०- 05/मं०मं०स०/वि०स० सत्र -01/2026 49 / माननीय राज्यपाल, झारखण्ड, का
दिनांक 12.01.2026 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित
किया जाता है:-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संतोष कुमार गंगवार, झारखण्ड का राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक 18 फरवरी, 2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड विधान सभा के सभा वेश्म, राँची में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।"

ह०/-

राँची

(संतोष कुमार गंगवार)

दिनांक- 12 जनवरी, 2026.

राज्यपाल, झारखण्ड

ज्ञाप सं०- 05/मं०मं०स०/वि०स० सत्र -01/2026 49 / रांची, दिनांक 15 जनवरी, 2026 ई।

प्रतिलिपि: कार्यक्रम की प्रति के साथ राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/ मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा/ सभी विभागाध्यक्ष/ निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/ गृह मंत्रालय, पॉलिटिकल (एक) शाखा, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अखलेश कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं०- 05/मं०मं०स०/वि०स० सत्र -01/2026 49 / रांची, दिनांक 15 जनवरी, 2026 ई।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची/ नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) झारखण्ड को अधिसूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अ धि सू च ना

रांची, दिनांक - 15 जनवरी, 2026.
सं०- 05/मं०मं०स०/वि०स० सत्र -01/2026 51 / माननीय राज्यपाल, झारखण्ड, का
दिनांक 12.01.2026 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित
किया जाता है:-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संतोष कुमार गंगवार, झारखण्ड का
राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक 18 फरवरी,
2026 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में सम्बोधित करना चाहता हूँ और इस
हेतु झारखण्ड विधान सभा के सभा वेश्म, राँची में सदस्यों की
उपस्थिति चाहता हूँ।"

राँची

दिनांक-12 जनवरी, 2026.

ज्ञाप सं०- 05/मं०मं०स०/वि०स० सत्र -01/2026 51 / रांची, दिनांक-15 जनवरी, 2026 ई।

प्रतिलिपि: कार्यक्रम की प्रति के साथ राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री
के अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान
सचिव/ सरकार के सभी सचिव/ सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/ सभी
विभागाध्यक्ष/ निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/गृह मंत्रालय,
पॉलिटिकल (एक) शाखा, भारत सरकार, नयी दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(संतोष कुमार गंगवार)

झारखण्ड के राज्यपाल

(अखलेश कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं०- 05/मं०मं०स०/वि०स० सत्र -01/2026 51 / रांची, दिनांक-15 जनवरी, 2026 ई।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट,
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) झारखण्ड को अधिसूचना की प्रति के साथ
सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अ धि सू च ना

रांची, दिनांक - 15 जनवरी, 2026.
सं०- 05/मं०मं०स०/वि०स० सत्र -01/2026 51 / माननीय राज्यपाल, झारखण्ड, का
दिनांक 12.01.2026 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित
किया जाता है:-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संतोष कुमार गंगवार, झारखण्ड का
राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक 18 फरवरी,
2026 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में सम्बोधित करना चाहता हूँ और इस
हेतु झारखण्ड विधान सभा के सभा वेश्म, राँची में सदस्यों की
उपस्थिति चाहता हूँ।"

राँची

दिनांक-12 जनवरी, 2026.

ज्ञाप सं०- 05/मं०मं०स०/वि०स० सत्र -01/2026 51 / रांची, दिनांक-15 जनवरी, 2026 ई।

प्रतिलिपि: कार्यक्रम की प्रति के साथ राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री
के अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान
सचिव/ सरकार के सभी सचिव/ सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/ सभी
विभागाध्यक्ष/ निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/गृह मंत्रालय,
पॉलिटिकल (एक) शाखा, भारत सरकार, नयी दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(संतोष कुमार गंगवार)

झारखण्ड के राज्यपाल

(अखलेश कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं०- 05/मं०मं०स०/वि०स० सत्र -01/2026 51 / रांची, दिनांक-15 जनवरी, 2026 ई।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट,
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) झारखण्ड को अधिसूचना की प्रति के साथ
सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव


संतोष कुमार गंगवार
राज्यपाल, झारखण्ड



लोक भवन, राँची-८३४००१
झारखण्ड
दूरभाष : 0651-2283465

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संतोष कुमार गंगवार, झारखण्ड का राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक 18 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड विधान सभा के सभा वेश्म, राँची, में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।”

स्थान- राँची
दिनांक- 17 जनवरी, 2026


(संतोष कुमार गंगवार)
राज्यपाल, झारखण्ड


संतोष कुमार गंगवार
राज्यपाल, झारखण्ड



लोक भवन, राँची-८३४००१
झारखण्ड
दूरभाष : 0651-2283465

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संतोष कुमार गंगवार, झारखण्ड का राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक 18 फरवरी, 2026 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूँ और इस हेतु झारखण्ड विधान सभा के सभा वेश्म, राँची, में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ।”

स्थान- राँची
दिनांक-...!?! जनवरी, 2026


(संतोष कुमार गंगवार)
राज्यपाल, झारखण्ड

✓

**भारत के संविधान के अधीन गठित षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा के
पंचम (बजट) सत्र का औपबधिक कार्यक्रम**

दिनांक-18 फरवरी 2026 (बुधवार)	01:	शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)
	02:	भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अधीन 11:30 बजे पूर्वाह्न, झारखण्ड विधान सभा वेश्म में झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यों के समक्ष माननीय राज्यपाल का अभिभाषण।
	03:	विधान सभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्राख्यापित अध्यादेशों की प्रामाणीकृत प्रतियों का सभा पटल पर रखा जाना (यदि हो)
	04:	शोक प्रकाश (यदि हो)
दिनांक-19 फरवरी, 2026 (गुरुवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उपस्थापन एवं वाद-विवाद
दिनांक-20 फरवरी, 2026 (शुक्रवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन।
	03:	माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान।
दिनांक-21 फरवरी, 2026 (शनिवार)		अवकाश
दिनांक-22 फरवरी, 2026 (रविवार)		अवकाश
दिनांक-23 फरवरी, 2026 (सोमवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक पर वाद-विवाद, मतदान तत्संबंधी विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण।
दिनांक-24 फरवरी, 2026 (मंगलवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक का उपस्थापन।
दिनांक-25 फरवरी 2026 (बुधवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद।
दिनांक-26 फरवरी, 2026 (गुरुवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक-27 फरवरी, 2026 (शुक्रवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक-28 फरवरी, 2026 (शनिवार)		अवकाश
दिनांक-01 मार्च, 2026 (रविवार)		अवकाश
दिनांक-02 मार्च 2026 (सोमवार)		अवकाश
दिनांक-03 मार्च, 2026 (मंगलवार)		अवकाश
दिनांक-04 मार्च, 2026 (बुधवार)		अवकाश
दिनांक-05 मार्च, 2026 (गुरुवार)		अवकाश
दिनांक-06 मार्च, 2026 (शुक्रवार)		अवकाश

दिनांक-07 मार्च, 2026 (शनिवार)		अवकाश
दिनांक-08 मार्च, 2026 (रविवार)		अवकाश
दिनांक-09 मार्च 2026 (सोमवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक-10 मार्च, 2026 (मंगलवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक-11 मार्च 2026 (बुधवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक-12 मार्च, 2026 (गुरुवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक-13 मार्च, 2026 (शुक्रवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक-14 मार्च, 2026 (शनिवार)		अवकाश
दिनांक-15 मार्च, 2026 (रविवार)		अवकाश
दिनांक-16 मार्च, 2026 (सोमवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
दिनांक-17 मार्च, 2026 (मंगलवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।
	03:	वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण।
दिनांक-18 मार्च, 2026 (बुधवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो)
दिनांक-19 मार्च, 2026 (गुरुवार)	01:	प्रश्नकाल।
	02:	राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य (यदि हो)
	03:	गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।